

58

Rs 22.7.14
श्रीमान अध्येक्ष-का
समक्ष में प्रस्तुत

निगरानी प्रकरण क्र./2014
प्रस्तुति दिनांक : 21/07/2014

श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल, ग्वालियर मध्यप्रदेश
ग्वालियर के समक्ष

हाजी कंपनी पार्टनरशीप फर्म R-2234-PBR/14
पता-25, निपानिया रोड, दरगाह के पीछे,
खजराना, इन्दौर (म.प्र.)
द्वारा पार्टनर-सलीम सिद्धीकी पिता स्व.श्री हाजी हबीब
निवासी-25, निपानिया रोड, दरगाह के पीछे,
खजराना, इन्दौर (म.प्र.)

.....प्रार्थी

विरुद्ध

1. महेश कुमार पिता श्री नवनीतलाल गुजराती
निवासी-3/5, नार्थ राजमोहल्ला, इन्दौर
2. श्रीमती शोभनादेवी पति श्री सुनील कुमार गुजराती
निवासी-11, बंगला कॉलोनी, इन्दौर
3. श्रीमती ममता पति श्री अरुण गोयल
निवासी-567/7, एम.जी.रोड, इन्दौर
4. रसीक पिता श्री जसवंतलाल जैन
निवासी-महेश नगर, इन्दौर
5. हरीश मुखी पिता श्री कोदुमल
6. श्रीमती रेणु मुखी पति श्री हरीश मुखी
दोनो निवासी-59-एम, खातीवाला टैंक,
इन्दौर

.....प्रतिप्रार्थीगण

श्रीमान अध्येक्ष-का
समक्ष में प्रस्तुत

23.7.14
3.45 P.M. 21/4

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959


श्रीमान अपर आयुक्त महोदय, इन्दौर संभाग इन्दौर के
राजस्व प्रकरण क्रमांक 295/अपील/2013-14 में दिनांक
20/05/2014 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर यह निगरानी
इस माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत
है :-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2234-पीबीआर/14

जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4.1.2018	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री एच0एन0फड़के, श्री पवन सचदेव एवं श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित । अनावेदक क्रमांक 1 के वारिसान की ओर से श्री एन0के0पाण्डे एवं श्री संजय जैन अधिवक्ता उपस्थित । आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रकरण आगे नहीं चलाये जाने के कारण नॉटप्रेस में समाप्त किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया । प्रकरण आवेदक के निवेदन पर आगे नहीं चलाये जाने के कारण नॉटप्रेस में समाप्त किया जाता है ।</p>	<p> अध्यक्ष</p>